

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 26/प्रेसनोट/2021

12 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति  
थाना दीदारगंज

पुलिस मुठभेड़ में एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस, 75 किग्रा गोमांश व एक अदद मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 12.1.2021 को थानाध्यक्ष दीदारगंज संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन तथा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पल्थी बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति गोमांस सहित आ रहे हैं। जिनके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराहियान के हुब्बीगंज बाजार पहुँचकर हुब्बीगंज चौराहे पर आने वाले व्यक्तियों का इन्तजार करने लगे कि कुछ ही देर में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति अलाउद्दीनपुर की तरफ से आते हुये दिखाई दिये। पुलिस बल द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रूकने का इशारा किया गया तो पुलिस से अपने को घिरता देख मोटरसाइकिल के पिछे बैठा व्यक्ति अपने पास लिये असलहे से पुलिस पार्टी पर जान मारने की नियत से फायर कर दिया। इसी दौरान मोटरसाइकिल लडखडा कर गिर गयी। मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति सम्भलते हुये खेतों की तरफ भागा तथा पीछे बैठा व्यक्ति बोरा लेकर गिर गया। पुलिसबल द्वारा प्रशिक्षित तरीके से अपना बचाव कर हिकमत अमली का प्रयोग करते हुये मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को समय करीब 4.45 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े व्यक्ति का नाम व पता पूछा गया तो अपना नाम नदीम पुत्र रोशन जमीर ग्राम नौहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया तथा मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति भागने में सफल रहा। मौके पर तलाशी से गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा मोटरसाइकिल हिरा होण्डा स्पलेण्डर रजिस्ट्रेशन नं० UP62 AB 5871 तथा 75 किग्रा गोमांश बरामद हुआ। फरार अभियुक्त का नाम पता पूछा गया तो उसने मो० शाहिद पुत्र अज्ञात सा० बक्ची नेवादा थाना शाहगंज जौनपुर बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु०अ०सं०- 8/21 धारा 307 IPC व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 2. मु०अ०सं० 09/2021

धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मांस के बारे में कड़ाई से पूछा गया तो अभियुक्त ने बताया कि यह गोमांश हैं। जिसे मैं व मेरा साथी ग्राम जमदानीपुर से ला रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया।

### गिरफ्तार अभियुक्त

नदीम पुत्र रोशन जमीर ग्राम नौहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

### बरामदगी

1. एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस.315 बोर
2. 75 किलो गोमांश
3. एक अदद मो0 सा0 UP62 AB 5871

### पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0- 8/21 धारा 307 IPC व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दीदारगंज
2. मु0अ0स0 09/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

### फरार अभियुक्त

मो0 शाहिद पुत्र अज्ञात सा0 बक्ची नेवादा थाना शाहगंज जौनपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. उनि0 अखिलेश चन्द्र पान्डेय मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
3. उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।